

1985-86

में

उत्तर प्रदेश सरकार

के

व्यय के लिये

लेखानुदान



मार्च, 1985

542  
52.1252  
UTI-4

लखनऊ  
प्रधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, (भारत)  
1985

लेखानुदान

1985-86

NIEPA DC



D02517

542  
352.1252  
WTT-N

Sub. National Systems Unit,  
National Institute of Educational  
Planning and Administration  
175, Conde do Mar, Rio de Janeiro, RJ-110016  
DOC. No. 21618  
Date 2/10/80

## टिप्पणी

संविधान के अनुच्छेद 206 के अनुसार विधान सभा से प्रार्थना की जाती है कि जब तक वर्ष 1985-86 के लिये अनुदानों की मांगों पर व्योरेवार विचार न हो जाय, पांच महीने के व्यय की स्वीकृति दे दें। इस विवरण-पत्र में वे धनराशियां दिखाई गई हैं जिनकी आवश्यकता अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1985 के महीनों में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये होगी, मोटे तौर पर इन धनराशियों में सिवाय उन दशाओं के जिनमें कि वह अनुपात कठोरता के साथ लागू नहीं किया जा सकता और बारह मास की अवधि में भुगतान की जाने वाली धनराशि समान रूप में वितरित नहीं है, 1985-86 के अनुमानित वचनबद्ध व्यय के 5/12 वें भाग की व्यवस्था है।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1986 की समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1985 में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक सेवा या प्रयोजन के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाये जो 19,53,89,04,000 रुपये से अधिक न हो।

21 मार्च, 1985।

तदनुसार

30 फाल्गुन, शक संवत् 1906

नारायण दत्त तिवारी,

मुख्य मन्त्री।

(हजार रुपयों में)

अनुदान / क्रम-संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग				लेखानुदान के लिये आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूजी		राजस्व		पूजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1—आबकारी विभाग	3,00,61	10	1	..	1,26,25	4	1	..
2—आवास एवं नगर भूमि विभाग	1,75,15	5,96,00	..	2,91,85	72,98	2,48,33	..	1,21,60
3—उद्योग विभाग (खान और खनिज)	1,19,55	5	..	..	49,81	2	..	..
4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	26,69,78	2,95,33	..	2,46,41	11,12,41	1,23,05	..	1,02,67
5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	5,71	1	..	..	2,38	1	..	..
6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	13,46,35	..	21,57	..	5,60,98	..	8,99	..
7—ऊर्जा विभाग	91,28	..	4,18,30,81	..	38,03	..	1,74,29,50	..
8—कार्मिक विभाग	42,47	..	..	..	17,69	..	..	..
9—कृषि विभाग (औद्योगिक विकास)	8,12,89	5,64	2,84,80	..	3,38,70	2,35	1,18,67	..
10—कृषि विभाग (कृषि)	37,51,32	2,12	44,46,96	50	15,63,05	88	18,52,90	21
11—खाद्य तथा रसद विभाग	13,86,82	2,25,90	5,20,52,00	39,50,50	5,77,84	94,13	2,16,88,33	16,46,04
12—गन्ना विकास विभाग	6,93,20	2,20	6,00,00	4,86	2,88,83	92	2,50,00	2,02
13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	15,80,27	13,39,33	4,00,01	..	6,58,45	5,58,05	1,66,67	..
14—गृह विभाग (कारागार)	14,14,58	2	2	..	5,89,41	1	1	..
15—गृह विभाग (पुलिस)	2,47,60,94	28,38	10,29	24,09	1,03,17,06	11,83	4,29	10,04
16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	9,34,35	..	..	..	3,89,31	..	..	..
17—गोपन विभाग	28,99	..	..	..	12,08	..	..	..
18—ग्राम्य विकास विभाग	3,15,05,28	10	2,05,67	..	1,34,21,20	4	85,70	..
19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	1,24,87,02	46	..	..	52,02,93	19	..	..

(हजार रुपये में)

अनुदान / क्रम संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग				लेखानुदान के लिये आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	60,21,01	39	5,55,10	..	25,08,75	16	2,31,29	..
21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	43,95,32	5	..	..	18,31,38	2	..	..
22--नगर विकास विभाग	41,17,07	10	..	..	17,15,45	4	..	..
23--नागरिक उड्डयन विभाग	1,18,23	..	..	..	49,26	..	..	..
24--नागरिक सुरक्षा विभाग	11,00,50	..	..	..	4,58,54	..	..	..
25--नियुक्ति विभाग	4,21	..	..	..	1,75	..	..	..
26--नियोजन विभाग	5,01,33	..	25	..	2,08,89	..	10	..
27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग	1,42	..	..	..	59	..	..	..
28--निर्वाचन विभाग	7,66,26	..	..	..	3,19,28	..	..	..
29--न्याय विभाग	21,90,26	3,22,49	..	..	9,12,61	1,34,37	..	..
30--पंचायती राज विभाग	46,97,56	21	..	..	19,57,32	9	..	..
31--परिवहन विभाग	28,68,61	12	2	..	11,95,25	5	1	..
32--पर्यटन विभाग	40,60	..	..	..	16,92	..	..	..
33--पर्वतीय विकास विभाग	26,93,91	9,15	44,98,65	5,20	11,25,96	3,81	18,77,43	2,16
34--पशुधन विभाग	21,33,15	4	..	..	8,88,81	2	..	..
35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	1,09,76	4,81	..	600	45,73	2,00	..	2,50
36--प्रशासनिक सुधार विभाग	22,06	..	..	..	9,19	..	..	..
37--प्राविधिक शिक्षा विभाग	14,98,12	2	1,38,00	..	6,24,22	1	57,50	..
38--मत्स्य विभाग	2,23,85	2	..	..	93,27	1	..	..
39--मुस्लिम वक्फ विभाग	25,14	2,73	..	..	10,48	1,14	..	..
40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	23,12,81	25	..	..	9,63,67	10	..	..
41--राजस्व विभाग (देवी आपदाओं के कारण सहायता)	12,50,62	16,44,36	1,71,28	20,06	5,21,09	6,85,15	71,37	8,36
42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	84,92,46	13,9,77	73	3,17,11	35,38,53	58,24	30	1,32,13

* 43—राज्यपाल सचिवालय	..	31,10	..	..	..	12,96	..	..
44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	45,13	..	1,50	..	18,80	..	63	..
* 45—लोक सेवा आयोग	..	1,36,94	..	..	..	57,06	..	..
46—वन विभाग	44,62,87	20	18,69	..	18,59,53	8	7,79	..
47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	1,00,02,02	4,24,48,74	5,95,00	7,61,47,65	41,67,51	1,76,86,98	3,41,92	3,17,28,19
48—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	1,04,56,21	13,52	..	..	43,56,75	5,63	..	..
49—वित्त विभाग (कोषागार और लेखा प्रशासन)	4,30,85	..	..	..	1,79,52	..	..	..
50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	40,71,20	..	..	..	16,96,33	..	..	..
51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	7,57,96	4	..	..	3,16,41	2	..	..
52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	1,86,81	6,41,31	..	..	77,84	2,67,21	..	..
53—विधान परिषद सचिवालय	96,52	3,19	..	..	40,22	1,33	..	..
54—विधान सभा सचिवालय	3,09,42	3,69	..	..	1,28,93	1,54	..	..
55—विज्ञान एवं प्राद्योग विभाग	3,61,90	..	..	..	1,50,79	..	..	..
56—शिक्षा विभाग	6,56,27,49	11,58,08	62,00	..	2,73,44,79	4,82,53	25,83	..
57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	13,42,66	3	..	..	5,59,44	2	..	..
58—श्रम विभाग (सेवायोजन)	10,38,54	20	..	..	4,32,73	8	..	..
59—संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	..	..	1,001	..	..	..	42	..
60—संस्थागत वित्तविभाग (निदेशालय)	24,85	4	..	..	10,35	2	1	..
61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	14,61,90	40	..	..	6,09,13	17	..	..
62—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)	79,71	..	..	..	33,21	..	..	..
63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एव पंजीकरण)	2,98,24	1	..	..	1,24,27	2	..	..
64—सचिवालय प्रशासन विभाग	15,37,23	4	..	..	6,40,51	2	..	..
65—सतर्कता विभाग	1,78,98	3,34	..	..	74,58	3,48	..	..
66—सहकारिता विभाग	4,89,54	4,13,85	12,50,00	4,49,82	2,03,98	1,72,44	5,20,82	1,87,43
67—सहायता और पुनर्वासन विभाग	74,45	5	25,13	50	31,02	2	10,47	21
68—सांस्कृतिक कार्य विभाग	85,70	2	..	..	35,71	1	..	..
69—सामान्य प्रशासन विभाग	7,46	1	..	..	3,11	1	..	..
70—सार्वजनिक उद्यम विभाग	13,15	..	..	..	6,18	..	..	..

\*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

(हजार रुपयों में)

अनुदान / क्रम-संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग				लेखानुदान के लिये आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	48,88,72	5	..	..	23,11,96	2	..	..
72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	5,93,78	17	14,41,44	1,00	2,47,41	7	9,59,60	42
73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	3,49,54	17,56	6,42,94	50	1,45,64	7,32	6,29,89	21
74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मिक भवन)	69,16	20	30,99,17	3,25	28,82	8	18,25,32	1,35
75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	1,03,07,09	10	1,45,29,59	50	79,11,62	4	68,69,00	21
76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	40,79,00	10	48,49,57	..	16,99,58	4	20,20,65	..
77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2,22,80,72	3	3,29,60,00	2	1,28,08,63	1	1,39,11,33	1
78--सूचना विभाग	2,88,11	..	..	..	1,20,05	..	..	..
79--सैनिक कल्याण विभाग	81,50	2	..	..	33,96	1	..	..
80--स्पोर्ट्स विभाग	1,43,72	..	..	..	59,88	..	..	..
81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	38,80,23	3	..	..	16,16,76	1	..	..
82--क्षेत्रीय विकास विभाग	4	..	..	..	1	..	..	..
योग--राजस्व / पूँजी	28,00,93,22	4,94,98,24	16,46,92,21	8,14,69,82	12,44,22,29	2,06,24,29	7,09,66,75	3,39,45,76
कुल योग	32,95,91,46		24,61,62,03		14,50,46,51		10,49,12,51	
			57,57,53,49				24,99,59,09	

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 151 सा०वित्त--10-1-85--(3186)--1985--2,250 (मैग०)



Sub. National Systems Unit,  
National Institute of Educational  
Planning and Administration  
17-B, Connaught Place, New Delhi-110016  
DOC No. 3517  
Date 4.6.85